


निर्णय

फर्द अहकाम 23-7-2024

2024/427

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
ब्लॉक मुख्य स्वा0 अधिकारी बनाम मुकेशकुमार आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 277 वर्ष 2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये |
|------------|--|---|
| 20.06.2024 | <p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.06.2024 को पेश हो।</p> | |
| 24.06.2024 | <p>कुलाए कन उपास्थत/PU माह अकम्प्लि फोवेल है। पत्रावली गस्त 24 दिनांक 24.6.2024 का पेश हो</p> | <p>968m मुकेश</p> |
| 26.6.2024 | <p>कुलाए कन उपास्थत/PU माह अकम्प्लि फोवेल है। पत्रावली गस्त 26 दिनांक 26.6.2024 का पेश हो</p> |  |
| 29.6.2024 | <p>कुलाए कन उपास्थत/PU माह अकम्प्लि फोवेल है। पत्रावली गस्त 29 दिनांक 29.6.2024 का पेश हो</p> | <p>जिनाबी</p> |
| 23-7-2024 | <p>कुलाए कन उपास्थत/PU माह अकम्प्लि फोवेल है। पत्रावली गस्त 23 दिनांक 23-7-2024 का पेश हो</p> <p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.06.2024 को पेश हो।</p> | <p>जिनाबी जिनाबी जिनाबी</p> |



डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-277/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

ब्लॉक मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रावतसर जरिये डा. मनीन्द्रसिंह रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र बलवन्त जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राममूर्ती पत्नी बलवन्त जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. कृतिका पुत्री दानाराम नाबालिग जरीये कुदरती बली दादा बलवन्त पि. मु. शेराराम जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. हिमानी पुत्री दानाराम नाबालिग जरीये कुदरती बली दादा बलवन्त पि. मु. शेराराम जाति जाट साकिन रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री दिनेश कुमार भादू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक- 23/7/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 4 एन.डब्लु.डी. के प.नं. 235/11 (30) के किला न0 4/1 की भूमि में से दक्षिण पासा की 0.0371 है0 किला नम्बर 5 की दक्षिणी पश्चिम पासा की 0.0419 है0 किला नम्बर 6 की उत्तरी पश्चिमी की 0.0074 है0 7 की उत्तरी पूर्वी पासा की 0.0065 है0 कुल 0.0929 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि चक 4 एन.डब्लु.डी. के प.नं. 235/3 (29) के किला न0 4 ता 7, 13 ता 15 की 1.379 है0 प0 न0 235/11 (30) के किला न0 1 की 0.253 है0 2 की 0.253 है0 3/1 की 0.177 है0 4/1 की 0.0389 है0 5 की 0.2111 है0 6 की 0.1826 है0 7/1 की 0.1955 है0 8/1 की 0.228 है0 9 की 0.253 है0 10 की 0.253 है0 11 की 0.051 है0 12 की 0.013 है0 =2.1091 है0 प0 न0 235/19 (31) के किला न0 1, 2, 10 की 0.645 है0 कुल 4.1331 है0 भूमि में प्रतिवादी सं 1 मुकेश कुमार 1/2 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 2 राममूर्ती को 1/8 हिस्सा की, प्रतिवादी सं. 3 कृतिका को 3/16 हिस्सा की व प्रतिवादी सं. 4 हिमानी को 3/16 हिस्सा की मुश्तर्का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्ताख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23/7/24 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर